Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 4, July-2022, ISSN 2230-7540

बौद्ध साहित्य के आधार पर स्त्री शिक्षा

Piyush Kumar Shukla[1]*, Dr. Devendra Kumar[2]

[1] Research Scholar, Lords University, Alwar (Rajasthan)

[2] Associate Professor, Department of Education, Lords University, Alwar Rajasthan)

सार - प्रस्तुत शोधपत्र में बौद्ध दर्शन में स्त्री शिक्षा का अध्ययन पर प्रकाश डाला गया है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में धार्मिक आन्दोलन का प्रबलतम रूप हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा सिद्धांतों में पाते है जो पालि लिपि में संकलित है , जैन परंपरा को ईसा की पाँचवी शताब्दी में लिखित रूप प्रदान किया गया, इस कारण बौद्ध धर्म से संबंद्ध पालि साहित्य वैदिक ग्रंथों के बाद सबसे प्राचीन रचनाओं की कोटि में आता है। बौद्ध धर्म के समुचित ज्ञान के लिए इस धर्म के त्रिरत्न - बुद्ध धर्म तथा संघ तीनों का अध्ययन आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का माध्यम है इससे मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति तो विकसित होती है भौतिक जगत का भी विस्तार होता है। बौद्ध दर्शन की शिक्षाएं सर्वकालिक एवं सर्वदेशिक हैं। तृष्णा चाहे आज के मानव की हो अथवा आज से पहले के , वह सदैव विनाशकारी तथा सकल दुःखों की जननी है। पदार्थो की लिप्सा कभी शांत नही हो सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं समस्त मानव मात्र के लिए थी, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं। इनमें स्त्री-पुरुष, धर्म आदि का कोई भेद स्वीकार्य न था।

----------X----------

प्रस्तावना

गौतम बुद्ध के समय नारी की स्थिति अति हेय एवं दयनीय हो उठी थी। बुद्ध के उपदेशों में स्त्रियों पर प्रचुर रूप से आक्रोष की वर्षा हुई है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि स्त्रियों की दशा उतनी हीन न थी , जितनी तत्कालीन साहित्य में वर्णित है। गौतम बुद्ध ने युवा वर्ग को भिक्षु जीवन की ओर आर्किर्षत करने की दृष्टि से एवं माया केन्द्र नारी से विरक्त करने का यही उपाय निकाला था कि नारी का अतिनारकीय स्वरूप ही समाज के सम्मुख रखा जाय , ताकि पुरूष वर्ग स्वयं ही नारी से घृणा करने लगे। जो नारी वैदिक युग में लक्ष्मी मानी जाती थी एवं घर की रानी समझी जाती थी, बौद्ध युग में मात्र 'वासना की पुतली' के रूप में प्रस्तुत की गई थी। गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा , जैसे नदी, पथ, शराब खाने, धर्मशालाएँ, प्याऊ आदि सबके लिए होते है, वैसे ही लोक स्त्रियाँ भी सबके लिए होती है। पालि साहित्य में स्त्री का मात्र कुल्टा रूप ही प्रतिबिम्बित होता है। जातक में ऐसी स्त्रियों के 25 लक्षण बताए गए है। गौतम बुद्ध नारी-समाज को भिक्षु धर्म में दीक्षित करने के पक्ष में नही थे किन्तु अपने प्रिय आनन्द के अनुरोध पर नारी प्रव्रज्या की अनुमति दी थी लेकिन इसके साथ आठ शर्तें भी लगा दी। प्रतिबन्ध लगाते हुए तथागत ने आनन्द से कहा हे आनन्द! यदि स्त्रियों को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर तथागत द्वारा प्रतिपादित धर्म तथा चिर-स्थायी होता है। हे आनन्द! अब स्त्रियों को वह अधिकार प्रदान कर दिया गया, अतः यह विशुद्ध धर्म, आनन्द अब मात्र पाँच सौ वर्षो तक स्थिर रह पाऐगा। यद्यपि गौतम बुद्ध स्त्री प्रव्रज्या से खुश नही थे तथापि बौद्ध ग्रन्थों में अनेक ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ प्रायः षिक्षित और विद्वान हुआ करती थी। विद्या, धर्म और दर्षन के प्रति उनकी अगाध रूचि होती थी। बौद्ध आगमों की शिक्षिकाओं के रूप में भी उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। थेरीगाथा की कवियित्रियों में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी और विवाहित भिक्षुणियाँ थी।

पुराणों से विदित होता है कि नारी शिक्षा के दो रूप थे , एक आध्यात्मिक और दूसरा व्यवहारिक। आध्यात्मिक ज्ञान में बृहस्पति-अगिनी भुवना , अपर्णा, एकपर्णा एकपाप्ला, मेना, धारिणी, संनति, शरूपा आदि कन्याओं के नामों का उल्लेख है , जो ब्रह्मवादिनी थी। आध्यात्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि योग और तप पर निर्भर करती थी जिसमें स्त्री ब्रह्मचर्य , सदाचरण, गृहस्थिक शिक्षा से भी अवगत हुआ करती थी। ललित कलाओं में भी वे निपुण होती थी। कौशलपूर्वक नृत्य करती थी तथा ऋग्वेद की ऋचाओं का गान करती थी। उत्तर वैदिक कालीन व्यवहारिक शिक्षा में वे नृत्य , संगीत, चित्रकला आदि की

www.ignited.in

भी शिक्षा ग्रहण करती थी। प्रमदाओं की कमनीय भाव-भंगिमा और आकर्षक नृत्यकला शोभा और सुन्दरता का केन्द्र बिन्दु थी। चित्रकला का समुचित विकास हो चुका था। स्वच्छ रेखांकन रंगों का अपेक्षित प्रयोग तथा आकृति का अभिव्यक्तिकरण चित्रकला के प्रधान आधार थे। इस सम्बन्ध में अनेक पौराणिक संदर्भ मिलते है। वाणासुर के मंत्री कुष्माण्ड की कन्या की सखी चित्रलेखा ने चित्रपट पर अनेक देवों, गंधवों और मनुष्यों की आकृतियांे का आंकलन किया था, जिसमें अनिरूद्ध का भी चिन्ताकर्षक चित्र था।

बुद्ध काल में अनेक दार्शनिक वादों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मण धर्म लोक धर्म बन चुका था और बौद्ध धर्म के प्रचार होने पर भी इसकी लोकप्रियता में कोई अंतर नहीं आया। बुद्ध का ध्येय बौद्ध दर्शन को लोकप्रिय बनाना था। अतः उन्होंने लोकमत को समुचित आदर प्रदान करते हुए अपने विचारों का प्रचार किया। लोक साहित्य पर भी गौतम बुद्ध के गंभीर व्यक्तित्व का व्यापक प्रभाव पड़ा। वैदिक ऋचाओं का विषय देवस्तुति मात्र था एवं परवर्ती या उत्तर वैदिक साहित्य यज्ञ एवं कर्मकाण्ड से भरा पड़ा था। पर गौतम बुद्ध ने गाथाओं , जातक कथाओं और पिटकों के माध्यम से विषयो को अपनी वार्ता का विषय बनाया। शिक्षा के सिद्धांतों और प्रयोगों के संबंध में बौद्धों और हिंदुओं के दृष्टिकोण में कोई मौलिक अंतर नहीं था। बौद्ध धर्म का मूल मत था कि संसार दुःख से परिपूर्ण है। संसार का परित्याग करने से ही मोक्ष मिलेगा। अतः प्रारंभ में बौद्धों ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शिक्षा पर ही ध्यान दिया तो उचित ही था। किन्तु कालान्तर में जब इन्होंने जन साधारण को शिक्षा देना स्वीकार कर लिया तो इनकी शिक्षा प्रणाली में हिंदूओं की शिक्षा प्रणाली में कोई अंतर नहीं था। दोनों पद्धतियों के आदर्श और ढंग समान थे। बुद्ध का यह अत्यन्त विवेक पूर्ण आदेश था कि प्रत्येक उपासक को विनय और धर्म की सम्यक् शिक्षा देनी चाहिए। बुद्ध के इस वचन के कारण ही बौद्ध विहारों ने शिक्षा कार्य अपने हाथ में लिया और उसका विकास किया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए दो संस्कार आवश्यक थे। प्रथम था प्रब्बज्जा तथा दूसरा उपसम्पदा। प्रब्बज्जा से उपासकत्व का प्रारंभ होता था। प्रब्बज्जा 8 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती थी। संरक्षक की अनुज्ञा आवश्यक थी।

नारी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीनकाल में नारी की स्थितिः - भारत में प्राचीन काल से स्त्रियों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था क्योंकि स्त्री जीवन के हर पहलू में पुरूष का साथ देती है । वैदिक साहित्य में गार्गी , मैत्रयी, आत्रेय, शकुन्तला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों की चर्चा मिलती है। इस समय नारी शिक्षा अत्यंत सीमित थी तथा केवल समाज के संभ्रात परिवारों की लड़कियॉ ही शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का सदुपयोग कर पाती थी। उस समय स्त्रयों के लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही उस काल में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई सुसंगठित व्यवस्था थी। फिर भी प्राचीन काल में मैत्रयी , लोपमुद्रा, अपाला, शैव्या, सीता, उर्मिला, विद्योत्तमा, चुडाला जैसी अनेक नारियों ने अपनी विद्वता , त्याग एवं समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बौद्धकाल में प्रांरभिक वर्षो में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, परंतु बाद में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ के रूप में प्रवेश करने की अनुमति देकर स्त्री शिक्षा केा एक नया आयाम दिया, जिसके कारण स्त्री शिक्षा को एक नया जीवन मिला। उस समय के संघमित्रा जैसी विदुशी नारियों के नाम विशेष उल्लेखनीय है। शिक्षा केवल धनी-मनी व कुलीन घरानों तक ही सीमित थी।

मानव समाज में नारी शिक्षा का विशिष्ट महत्व है क्योंकि कोई भी काम चाहे सामाजिक हो या आर्थिक या सांस्कृतिक या राजनैतिक हो , बिना स्त्री के पूर्ण नहीं होता। एक अच्छे समाज के निर्माण का आधार भी नारी है। नारी समाज निरंतरता तथा उत्पादकता का भी प्रमुख आधार है। वास्तव में संपूर्ण समाज के निर्माण एवं विकास की संभावनाएॅ नारी पर ही निर्भर है। इसलिए नारी शिक्षा की अवहेलना करना समाज के प्रति अन्याय करना है। नारी शिक्षा के महत्व के संबंध में कुछ प्रमुख विचारकों , विद्वानों तथा शिक्षाविद्रों ने निम्न प्रकार के विचार व्यक्त किये हैः-

शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्याः- लडकियों की शिक्षा के मार्ग उनकी सबसे बडी बाधा लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाता है। हमारे यहा शिक्षा के सभी स्तरों और लगभग सभी पक्षों और लडके तथा लड़कियों की शिक्षा में असमानताए पायी जाती है। लड़कियों की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर लड़कों के अपेक्षा कम मिल पाते हैं।

कन्याओं के शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोणः- आज के विज्ञान और प्राद्योगिकी के इस युग में यधपि रूढिवादी विचारों, अंधविश्वासों तथा दोषपूर्ण रीति रिवाजों की उपयोगिता को नकार दिया गया है। फिर भी अनेक भारतीय अब भी इन रूढिवादियों , अंधविश्वासों तथा परंपराओं का पोषण एव समर्थन करते है। यही कारण है कि हमारे देश की जनसंख्या के एक बड़े वर्ग में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभी भी सीमित , संकुचित एवं रूढियों

www.ignited.in

के कारण अनेक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। रूढिवादी तथा एकांकी विचार पाये जाते है। छुआछुत, बाल-विवाह, पर्दा प्रथा जैसी रूढियों के कारण अनेक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है। रूढिवादी व्यक्ति के विचार में लड़कियॉ शिक्षा प्राप्त करके समानता व स्वतंत्रता की मांग करती है जो स्त्री चरित्र हीनता का सूचक होती है , ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या और भी अधिक उग्र प्रतीत होती है।

अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या:- अपव्यय तथा अवरोधन स्त्री शिक्षा की एक गंभीर समस्या है। अन्य राष्ट्रों की तुलना में स्त्री शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन अधिक पाया जाता है। प्रायः देखा गया है कि कक्षा एक में प्रवेश लेनेवाली प्रत्येक 100 लड़कियों में से केवल 35 लड़कियॉ ही कक्षा पॉच में पहुंच पाती है तथा लगभग 20 ही कक्षा आठ में पहुंच पाती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में व शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अधिक पायी जाती है। निर्धनता , अशिक्षित माता , पिता रूढिवादिता , लड़कियों के प्रति संकुचित एवं नकारात्मक दृष्टिकोण, नीरस पाठयक्रम, अनाकर्षक विद्यालयी वातावरण , परामर्श व निर्देशन का अभाव , दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली , अध्यापिकाओं का अभाव आदि लड़कियों में अपव्यय एवं अवरोधन के लिए मुख्य रूप से उतरादायी है।

आर्थिक समस्या:- स्त्री शिक्षा के विकास का एक कारण समुचित धन का अभाव है। वर्तमान समय में शिक्षा एक निवेश है जिसके लिए समुचित मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सरकार की जितनी रूचि लड़कों की शिक्षा में है उतनी रूचि लड़कियों की शिक्षा में नहीं है। स्त्री शिक्षा के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करनी होगी जिसे केवल लड़कियों की शिक्षा पर ही व्यय किया जाय।

व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी:- स्त्रियों के लिए व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी एक गंभीर समस्या है । स्त्रियों के उत्थान के लिए विकास करने का भार अपने उपर लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् नामक पृथक इकाई का गठन करना चाहिए जबकि स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु राज्यों में लड़कियों की शिक्षा की राज्य परिषद् गठित करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करायी जाय। लड़कियों के लिए उनकी रूचि के अनुरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक तथा तकनीकी पाठयक्रम चलाये जाने चाहिए।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में तर्क और विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्थान था। युवाड्. च्वाड और इत्सिड्जैसे तर्कशील विद्यार्थियों ने भारतीय आचार्यों की व्याख्या और स्पष्टीकरण की प्रणाली की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। प्रत्येक छात्र की वैयक्तिक प्रगति पर ध्यान रखा जाता था। नालंदा में एक आचार्य के अंतर्गत दस से अधिक विद्यार्थी नहीं दिये जाते थे। ईसा की पांचवीं शताब्दी के बाद भारत में भिक्षुणी संघ नहीं रह गये। अतः जब बौद्ध विहार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्यालयों के रूप में विकसित हुये उनमें वितरित होने वाली शिक्षा नारी जगत को कोई लाभ नहीं होता था। उस काल में बालिकाओं का विवाह भी अल्पवय में ही हो जाता था। पूर्वकाल में बौद्ध संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति मिल जाने के कारण नारी शिक्षा को विशेषतया उच्च सामंतों और श्रेष्ठियों के घरों को विशेष प्रोत्साहन मिला था। इन वर्गों की बहुत सी नारियां बौद्ध संघ में सम्मिलित हुई थी। उन्होंने धर्म और दर्शन के अध्ययन में अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया था। उनके अनुकरण पर साधरण घरों की नारियों में भी शिक्षा प्रसार में अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते कि प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म जन साधरण की शिक्षा में रूचि रखता था।

महायान के उदय के साथ-साथ बौद्ध-विहारों ने साधारण जनता को भी शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। किन्तु चीनी यात्रियों के लेखों से ज्ञात होता है कि बौद्ध-विहारों में मुख्यतया उच्च शिक्षा की ही व्यवस्था थी। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रसार में अपनी देन पर बौद्ध धर्म पर गर्वकर सकता है। इसके विद्यालयों ने सभी जातियों और देशों के विद्यार्थियों के लिए अपने द्वार खोल दिये थे। बौद्ध धर्म के ही प्रभाव के कारण देश में संघटित पाठशालाओं का उदय हुआ। उच्च शिक्षा में अपनी कुशलता से इसने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का स्थान ऊँचा उठाया था। इसकी उच्च शिक्षा से पूर्णता आकर्षित होकर कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे दूर-दूर के देशों के विद्यार्थी यहां अध्ययन करने आते थे। आधुनिक काल में पूर्वी एशिया के देश भारत के प्रति जो सांस्कृतिक सहानुभूति रखते हैं उसका एकमात्र श्रेय प्राचीन भारत के बौद्ध विद्यालयों का ही है। यदि आज किसी लुप्त भारतीय ग्रंथ का चीनी भाषा में पता मिलता है या किसी बहुमूल्य

संस्कृत पुस्तक का हस्तलिखित तिब्बत या चीन या मध्य एशिया में प्राप्त होता है तो इस का भी संपूर्ण श्रेय इन बौद्ध-विद्यालयों को ही है जहां चीनी विद्यार्थी इन पुस्तकों की प्रतिलिपि करके अपने देश ले जाते थे।

प्रारंभिक काल में बौद्धों ने मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने का समर्थन दिया था किन्तु उत्तर काल में यह संस्कृत के आकर्षण और प्रभाव से अपने को अछूता न रख सके। अंततोगत्वा इन्होंने भी उसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से वैदिक काल की शिक्षा की अनेक विशेषताएं वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है ठीक उसी प्रकार से बौद्ध काल की शिक्षा की अनेक विशेषताएं भी आधुनिक समय में उपादेय सिद्ध हो सकती है। यद्यपि बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करना था, तथापि बौद्ध शिक्षा के अन्य उद्देश्य जैसे नैतिक चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास तथा जीविका की तैयारी आज भी पूर्णतया प्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इन उद्देश्यों को समाहित करके ही शिक्षा प्रणाली को पूर्ण बनाया जा सकता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के ' दस सिक्खा पदानि ' अर्थात् दस शिक्षा पद आज भी पूर्णतया उपयोगी तथा सार्थक है।

आज के परिवेश में गौतम बुद्ध का शिक्षा दर्शन और भी प्रासंगिक हो गया है। उनके 'आत्म दीपो भव ' का सिद्धांत आज के समाज के लिए और उपयोगी हो गया है। अगर व्यक्ति में समाज के प्रति सकारात्मक सोच (जो घटता जा रहा है) उत्पन्न करना है तो उनके सुझाए मार्ग को अविलम्ब अपनाना होगा। किसी भी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व एवं चरित्र का सर्वांगीण विकास है। चूंकि बौद्ध दर्शन की शिक्षाएं कायिक, वाचिक एवं मानसिक विशुद्धि का लक्ष्य रखती हैं, अतः इनका उपयोग आधुनिक शिक्षण में भली-भांति किया जा सकता है। मूल्य परक शिक्षण प्रत्येक शिक्षा व्यवस्था का अंग रहा हैं। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, प्रेम, करुणा, विश्व बंधुत्व सदृश अनेक शाश्वत् मूल्यों को जीवन में आत्मसात् करने पर बल दिया गया है। इन मूल्यों को आधुनिक शिक्षण से सम्बद्ध करके इसे मूल्य परक बनाया जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत सदाचार पर विशेष बल दिया गया है। आज भी शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य शिक्षार्थी को सदाचारी बनाना है, ताकि वह न केवल ज्ञानी बन सके अपितु सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन में एक आदर्श भूमिका निभा सके। बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत नारी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी नारी शिक्षा के विकास एंव उत्थान पर विशेष बल दिया जा रहा है।

बौद्ध शिक्षण पद्धति में दूर-दूर से आए हुए भिक्षु अनुशासनबद्ध होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भी अनुशासन पालन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है , क्योंकि अनुशासन के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले भिक्षु स्वयं भिक्षार्जन करके ज्ञानार्जन करते थे। इस प्रकार बौद्ध शिक्षण विद्यार्थी को स्वावलंबी बनाना था। आज भारतीय शिक्षा के संबंध में स्ववित्तपोषित शिक्षा प्रणाली की बात की जा रही है जिसमें शिक्षार्थी का आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनना आवश्यक है।

बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा

भारतीय समाज में स्त्री का स्थान अति महत्वपूर्ण हमेशा से ही रहा है स्त्रियों ने सदैव अपना योगदान समाज के पुर्नगठन व रचनात्मकता के लिए दिया है उनकी सही शिक्त का प्रयोग करके समाज को अति संस्कारित व विकसित बनाया जा सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहॉ नारी की पूजा होती है वहॉ देवता निवास करते है। मनुस्मृति में ही एक अन्य स्थान पर लिखा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि सब लड़कियों और लड़कों के लिए नियत समय तक बहमम्चर्य आश्रम में रहने की व्यवस्था करे। वैदिक काल में स्त्रियों को वर्णानुसार कर्म की षिक्षा दी जाती थी अथर्ववेद में इसके प्रमाण प्राप्त हुए है। शतपथ ब्राहमण के अन्तिम भाग में एक स्थान पर आया है कि प्राचीन ऋषि जहॉ लड़कों को विद्वान बनाने के यत्न करते थे वहॉ लड़कियों को भी विदुषी बनाते थे। शुद्र वर्ण की स्त्रियों को तो इस काल में शिक्षा के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया था। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाॅ नारी की पूजा होती है वहॉ देवता निवास करते है।

स्त्रियों की शिक्षा के बारे में गौतम बुद्व के विचार वैदिक काल से अलग थे। बौद्धकाल में बौद्ध मठों एवं बिहारो में सभी स्त्री व पुरूषों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर प्रवेष की अनुमति प्रदान की गई, इस काल में स्त्रियॉ पुरूषों की भॉति किसी भी प्रकार की षिक्षा प्राप्त कर सकती थी जनविदित है कि कवि कालिदास की पत्नी विद्योतमा विदुशी महिला थी उसने अनेक पण्डितों को शास्त्रार्थ में हराया। बाणभट्ट ने कादम्बरी की नायिका महाश्वेता को यज्ञोपवीत धारण करने पवित्र शरीर वाली बताया है। बौद्धकाल में भाषा साहित्य , धर्म व दर्शन की शिक्षा स्त्रियॉ प्राप्त करती थी। अतः हम कह सकते है कि बौद्धकाल में स्त्रियों की शिक्षा में कुछ प्रगति देखने को मिली। शिक्षा जगत की एक प्रमुख समस्या अपव्यय व अवरोधन की समस्या है-जिसके प्रमुख कारण विद्यालयो

www.ignited.in

की अनुप्लब्धता विद्यालयों की दुर्दषा , निर्धनता व कुछ सामाजिक कारण है- इसका समाधान विद्यालयों की दशा सुधारकर शिक्षको की जवाबदेही तय करके विकलागों के लिए विषिश्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए उनकी सुविधायंे बाई जाये कस्तूरबा विद्यालयों की दषा में सुधार किया जाये।

स्त्री समाज का आधार है। इस कारण वह इस समाज का महत्वपूर्ण अंग है। स्त्री के ऊपर ही समाज की सम्पूर्ण उन्नति और विकास आधारित होता है। स्त्री की वर्तमान सामाजिक स्थिति समाज में आध्यात्मिकता , सामाजिकता, धार्मिकता एवं भौतिक की उन्नति का दपर्ण है। किसी भी समाज का आॅकलन एवं मूल्यांकन उसकी सामाजिक , राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति पर आधारित होता है। स्त्रियों के लिए अलग स्थान की इच्छा रखने वाले स्वामी विवेकानन्द समाज की उन्नति का हकदार उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के आॅकलन से होता है। समाज में स्त्रियों की स्थिति जैसी होगी उसी आधार पर समाज के विकास एवं उन्नति का आंकलन किया जा सकता है कि समाज कितना विकसित है अथवा विकासषील अथवा पिछडे समाज के अन्तगत लाया जा सकता है। यदि भारतीय इतिहास के पन्नों को देखा जायं तो भारतीय इतिहास में स्त्री के विकास के अनेक पर्दे दिखाई पडते हैं। यहॉ नारी महिमामयी देवी दुर्गा है , काली है, तो दूसरी ओर पुरूष प्रधान समाज के द्वारा सताई एवं कुचली गयी अबला है। भारतीय समाज के क्रमागत विकास के अध्ययन द्वारा समाज में नारी की स्थिति से जुड़े कई प्रष्नों के उत्तर ढूढने का प्रयास किया जा सकता है।

बौद्ध शिक्षा की वर्तमान में प्रासंगिकता

जिस प्रकार वैदिक युगीन शिक्षा की बहुत सी विशेषतायें आज भी प्रासंगिक है। ठीक उसी तरह बौद्ध कालीन शिक्षा के भी कुछ प्रमुख लक्षण आधुनिक समय में उपादेय सिद्ध हुये है। वर्तमान शिक्षा में यदि नैतिक चरित्र (पंचशील व्रत , अष्ठशील मार्ग) का विकास व्यक्तित्व का विकास तथा जीविका की तैयारी आज भी पूर्णतया प्रासंगिक है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इसे समाहित करके ही शिक्षा प्रणाली को पूर्ण बनाया जा सकता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली के दस शिक्षा पद आज भी पूर्णतया उपयोगी तथा सम्यक है। इस दस आदेशों का छात्रों के द्वारा यदि पालन किया जाये तो वर्तमान समय के साम्प्रदायिक वातावरण , भ्रष्टाचार मादक पदार्थों के सेवन, झूठ बोलना, पर निन्दा आदि व्यक्तिगत विकारों से बचा जा सकता है। बौद्धकाल में छात्र एवं अध्यापक सम्बन्ध भी अपने आप में एक उदाहरण है। जिसको आज हमें पुनर्जीवित करना होगा। शिक्षा संस्थाओं में आये दिन उपद्रव , हड़ताल, अनुशासनहीनता तथा अध्यापकों के साथ होने वाली अभद्रता को बौद्ध शिक्षा के मूल्यों से कम किया जा सकता है। वैभव व चमक-दमक , हिंसा से युक्त परिवेश धन व अधिकार की लालसा तथा घृणा व द्वेश से परिपूर्ण वर्तमान जीवन में बौद्ध शिक्षा के ये तत्व सम्यक योगदान कर सकते हैं और भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समेकित किये जा सकते है।

शांति का शाब्दिक अर्थ है सुखकारी या कल्याणकारी अर्थात् ऐसी शिक्षा जो स्वयं तथा जगत दोनों के लिए कल्याणकारी हो। ऐसे स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित करती हो जिसमें वयैक्तिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक न्याय की परिकल्पना परिपूर्ण हो अतः हम यह कह सकते हैं कि शांति शिक्षा शारीरिक , बौद्धिक पक्ष से परे जाकर आन्तरिक क्षेत्र में आन्तरिक चेतना को जागृत करना है। आन्तरिक चेतना को प्रकाशित करने के लिए अहिंसा , सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आत्म संयम सन्तोष तप तथा स्वध्याय जैसे नियमों का पालन करना होगा। शान्ति की शिक्षा धार्मिक सहिष्णुता , विश्व बन्धुत्व की भावना , नैतिक मूल्यों के निर्माण सम्मानजनक जीवन यापन, भय से मुक्ति, मानवाद आदि के लिये आवश्यक दिखाई पड़ती है। शांति शिक्षा विश्व निर्माण एवं विश्वशांति में महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकती है। अतः यह प्रश्न की शांति शिक्षा किस लिये दी जाये तो इसका उत्तर स्वतः मिल जाता है। जिसमें हम पाते हैं कि सम्पूर्ण विश्व में चारों तरफ अशांत वातावरण छाया हुआ है। चाहे वह विद्यालय हो घर हो, धार्मिक संस्थायें हो, प्रान्त या राष्ट्र हो, चारों तरफ एक भय अनुशासनहीनता, हिंसा, उग्रता की स्थिति दिखाई देती है जो कहीं न कहीं सहअस्तित्व पूर्ण शांति शिक्षा के माध्यम से कम किया जा सकता है। जिसे एल्वर्ट आइन्स्टीन ने भी कहा है कि 'शांति को बलपूर्वक नहीं रखा जा सकता... यदि बच्चों को युद्ध के लिये शिक्षित किया जा सकता है तो उन्हें शांन्ति के लिए क्यों नहीं शिक्षित किया जा सकता। यदि शैक्षणिक संस्थायें युद्ध की योजनाओं में रूचि ले सकती है। तो वे शान्ति की योजनाओं में रूचि क्यों नहीं ले सकती।"

बौद्ध धर्म और प्राचीन महिलाएँ

शुरूआती काल में वैदिक धर्म में अर्थात् ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और पुरुषों के समान धार्मिक क्रियाकलापों में विद्यार्जन में सहभागी

रही। पर उत्तरवेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बदल गयी उन्हें धार्मिक क्रियाकलापों में सीमित भाग लेने की अनुमति ही मिलने लगी आगे चलकर धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने से वंचित ही रहना पड़ा। पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को लेकर दो स्तरों पर सहभागिता सुनिश्चित की प्रथम महिलाएँ भी निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है द्वितीय ऐसी बौद्ध महिलाएँ जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहती थी उनके लिए अलग से बौद्ध संघ बनाए गये। शुरूआती बौद्ध काल में या बौद्ध धर्म के आगमन से कुछ दशकों पूर्व महिलाएँ प्रथम काल में पिता के अधीन रहती अर्थात् वाल्यकाल में पिता पर आश्रित , दूसरे अर्थात् यौवन काल में पति पर आश्रित पति की आज्ञाकारिणी बनकर , तृतीय काल अर्थात् वृद्धावस्था में पुत्र पर आश्रित या अधीन रहती थी। पिता, पति, पुत्र, ये स्त्री के संरक्षक थे। पर यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म में आज्ञाकारिणी महिला की स्थिति को स्वीकार किया गया है महिलाएँ वासना अर्थात् सेक्स की एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं थी जो पुरुष की भक्ति मे व्यवधान डालने वाली अर्थात् बाधाएँ उत्पन्न करने वाली एक काया मानी जाती रही। जो सांप की तरह डसने वाली और तपती, धधकती अग्नि की भांति थी। ये महिलाएँ ब्रह्मचर्य जीवन को भंग करने वाली होती थी। शायद इन सांकेतिक रूपों द्वारा ब्रह्मचर्य जीवन को बचाने के लिए प्रयास किया गया होगा और ब्रह्मचर्य जीवन भंग होने का खतरा नारी से था।

बौद्ध भिक्षु महिलाओं से दूर रहते ठीक उसी तरह बौद्ध भिक्षुणियाँ भी अपने नियम कायदों से बंधी रहती और पुरुषों से दूरियाँ बनाकर रखती थी। ऐसे आचरण बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणियों पर समान रूप से लागू होते थे और इनका पालन होता भी था। ये नियम आचरण की पवित्रता अर्थात् ब्रह्मचर्य को कठोरता से निभाने के लिए थे। बौद्ध ग्रन्थ विनयपिटक भगवान बुद्ध की महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति को भगवान बुद्ध की अनिच्छा पूर्वक दी गई अनुमति मानता है बौद्ध ग्रन्थ विनयपिटक में लिखा है कि भगवान बुद्ध बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश दे देने पर शिष्य आनंद को बुलाकर कहते हैं कि अब जब बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश मिल गया है तब ये धर्म 500 वर्ष ही चलेगा, यदि बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता तो यह धर्म 1000 (एक हजार) वर्ष से अधिक चलता। पर अब स्त्रियों के संघ प्रवेश से बौद्ध धर्म पाँच सौ वर्षों में ही पतन के कगार पर पहुँच जायेगा।

महिलाओं के बौद्ध संघ में प्रवेश से पहले वे गर्भवती (प्रेग्नेंट) नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसी महिलाओं को घर से भाग कर आयी महिला माना जाता था जो संघ पर भी कलंक का कारण बन सकती थी। आने वाली महिलाओं को अपने माता-पिता, पति, पुत्र की आज्ञा लेकर जाना जरूरी समझा जाता था। बौद्ध संघ में महिला भक्तों अर्थात् भिक्षुणियों को संघ के नियम , कानून, कायदों को मानना अनिवार्य था महिला भक्तों अर्थात् बौद्ध भिक्षुणियों को भिक्षुणियों के नियम कायदे मानने के साथ-साथ बौद्ध भिक्षुओं के नियम भी मानने पड़ते थे। इस तरह से बौद्ध महिला भक्तों को दोहरे नियमों का पालन करना पड़ता था।

जिस प्रकार वेदों में बहुत सी महिला विद्वान का उल्लेख आया है वैसे ही बौद्ध ग्रंथो में भी बहुत सी महिला विद्वानों जैसे संयुक्त निकाय में खेमा नाम की विदूषी महिला , खेमा का प्रवचन सम्मानपूर्वक प्रसेनजित ने सुना और समापन पर खेमा नामक विदूषी को सम्मानित किया बौद्ध ग्रन्थ अग्गुत्तर निकाय में विशाखा , भिक्षुणी धम्मदीना प्रसिद्ध विद्वान बौद्ध महिला का वर्णन आया है जिसकी विद्वता का सम्मान स्वयं भगवान बुद्ध ने किया था और कहा कि विशाखा ज्ञान-वान गुणी महिला विद्वान है जिससे सबको ज्ञान-सीखना चाहिए और विशाखा बौद्ध महिला का सम्मान सहित सत्कार करना चाहिए। विशाखा ने धम्मदीना से कुछ प्रश्नोत्तर किये और धम्मदीना ने सहजतापूर्वक शालीनतापूर्वक उत्तर दिये उनको सुनकर स्वयं भगवान बुद्ध ने विशाखा की प्रसंसा विद्वान बौद्ध महिला के रूप में की। धम्मदीना थेरी विशाखा सच में विद्वान बौद्ध महिलाएं रही जिनके वार्तालाप और प्रश्नोत्तरी की बुद्ध ने प्रषंसा की इन दोनों का यह प्रसंग बौद्ध ग्रंथ अग्गुत्तरनिकाय में वर्णित है।

निष्कर्ष

दो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ थेरी गाथा और थेरागाथा में से थेरीगाथा महिला संगीत का संकलन है , ऐसी वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुणियाँ अपने गीतों को चिरस्थायी रखने के लिए कनिष्ठ बौद्ध भिक्षुणियों को रटाया करती उन्हें गीतों के सुर लय, अर्थ बताया करती थी इन्ही सब का संकलन थेरीगाथा में संकलित है। थेरी गाथा प्राचीन भारत के उन ग्रन्थों में से एक है जो पूरी तरह महिलाओं को समर्पित है। तेविज्जा में कई महिला बौद्ध भिक्षुणियाँ निपुण थी , जिसमें अरहत ही निपुण माने जाते थे या कहें इस तेविज्जा पर अरहतों का एकाधिकार था उस तेविज्जा में भी कई महिला बौद्ध भिक्षुणियाँ महारत हासिल करती गई। आज भारत में पुरूषों के समान स्त्रियों को शैक्षिक अधिकार प्राप्त है। आज महिलाएं , सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में पुरूष

www.ignited.in

के समान सक्रिय रूप से भाग ले रही है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं के शिक्षा के संदर्भ में अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया है जिससे बालिकाओं की सुव्यवस्थित शिक्षा की राह में आ रही कठिनाईयों का निवारण हो सके। वहीं पर शांति शिक्षा की आवश्यकता है। और शांति शिक्षा के व्यापक स्वरूप की हमें अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों में समावेशित करने की आवश्यकता है। जिसका अथाह आधार हमारे आंगन में ही पले बढ़े हुये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में मिलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से विदित है कि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य ही शांति प्राप्ति है अतः शांति शिक्षा को वर्तमान परिदृश्य में सबसे जरूरी आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है , जिसके लिये शांति शिक्षा एवं बौद्ध कालीन शैक्षिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में समाहित करने की आवश्यकता है प्रस्तुत शोध पत्र में यह प्रयास किया गया है कि बौद्धकालीन शिक्षा में शांति शिक्षा को आधार प्रदान करने वाले तत्वों को पाठ्यक्रम में शामिल कर इसे मानव विकास में लगाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अग्निहोत्री, रविन्द्र (2006)- आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याए और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

गुप्ता,एस0पी0 तथा अल्का गुप्ता, (2008)- भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याये इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।

फाडिया, बी0एल0 (2009), अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आगरा: साहित्य प्रकाशन

पाण्डेय, वी0के0 (2009), प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, इलाहाबादः शारदा पुस्तक भवन

धिंग्रा, राखी गिरराज (2018) शांति शिक्षा का पाठ्यक्रम में एकीकरण, इण्टरनेशनल जनरल ऑफ एडवान्स एजुकेशन रिसर्च, दिल्ली, संस्करण-3, अंक-2, मार्च, पृ0 82-87

गौतम, मुकेश कुमार (2018), विश्वशांति एवं सद्भाव हेतु शिक्षा, इनोवेशन द रिसर्च कान्सेप्ट, कानपुर, संस्करण 3, अंक-1, फरवरी पृष्ठ 198-152

स्त्रीत्व का मानचित्र: अनामिका, पहला संस्करण, साराषं प्रकाषन, दिल्ली।

स्त्री और पराधीनता: जॉन स्टुअर्ट मिल, पहला संस्करण, संवाद प्रकाषन, मेरठ।

सिंह, डॉ0 अनिल कुमार, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति, 2008 कला प्रकाशन, बी0एच0 यू0 वाराणसी

Corresponding Author

Piyush Kumar Shukla*

Research Scholar, Lords University, Alwar (Rajasthan)